Legislation for Women Workers in Fish Processing Industry

712. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact any legislation to help the women workers in Fish Processing Industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of welfare measures to safeguard the interest of the workers in sea food processing industry?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) gives assistance to the seafood processors to upgrade their facilities to achieve equivalency with the European and US standards by which the workers get better facilities in the processing plants. Extension Trainings are being given to pre processing and processing workers for hygenic handling of fishery products.

Migrant Labours in Agriculture and Fish Processing Industry

713. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details regarding the migrant labours in Agriculture and Fish Processing Industry;

(b) the steps taken by Government to enusre their labour rights; and

(c) whether Government propose to enact any legislation to help the said workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) As per Census of India 1991, out of total number of 7,69,56,052 migrant workers by place of last residence the number of migrant agriculture labour is 2,15,12,218. The details of migrant labourers in Fish Processing Industry is not tabulated.

(b) and (c) The Government have already enacted Inter-State Migrant Workman (Regulation of employment and conditions of service) Act, 1979 to ensure their labour rights. The Act provides for regulation of their service conditions and certain welfare measures i.e. wages, displacement allowance, journey allowance etc. apart from this, these workers are covered under various labour laws i.e. Minimum Wages Act, 1948, Equal Remuneration Act, 1971, Workmen's Compensation Act, 1923, etc.

बाल श्रमिकों का शोषण

714. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल श्रमिकों का शोषण कम करने के लिए सरकार की योजना क्या है;

(ख) ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनकी शोषण के कारण मृत्यु हो गई है या इसके परिणामस्वरूप वे किसी गंभीर रोग का शिकार होकर अपाहिज हो गए है, और

(ग) इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में वर्णित 13 व्यवसायों और 51 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार की परिस्थितियों को विनियमित किया जाता है। सरकार का प्रयास बाल श्रम और अन्य सभी संबंधित कानूनों को इस तरीके से कार्यान्वित करना है जिससे बच्चों के शोषण पर रोक लगायी जा सके। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल नियोजन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है। उक्त

अधिनियम में कानून के उल्लघंन के लिए शास्तियों का प्रावधान है। बाल श्रम से संबंधित कानूनों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के यहां एक प्रवर्तन तंत्र है। केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है। मृत बाल श्रमिकों के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

कानूनी उपायों के अलावा, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना के माध्यम से उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना के अंतर्गत, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि के उपबंधों के साथ विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी है। 1.5 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में अनेक निदेश दिए हैं जिनमें जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी शामिल है। इन निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक कार्रवाईयां की हैं।

Updating Labour Laws

715. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to update Labour laws; and

(b) if so, the steps taken in this regard to protect workers in the unorganised sector?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Review and updation of Labour Laws is a continuous process and amendments/ fresh legislation are made depending on the result of the review.

(b) A number of labour laws enacted for protection of workers' rights and for their welfare are also applicable to unorganised workers. Some of these laws are the Minimum Wages Act, 1948, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Beedi Workers' Welfare Fund Act, 1976 etc., Workers engaged in iron ore, manganese ore, chrome ore, limestone, dolomite and mica mines, cine industry are also covered by various Welfare Fund Acts.

The Central Government have also enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 to protect the interest of workers engaged in construction industry which constitutes the second largest activity, after agriculture. It is also the endeavour of the Government to provide welfare measrues and to extend legislative protection to more and more workers in the unorganised sector.

महाराष्ट्र तथा गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

716. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक महाराष्ट्र और गुजरात में बेरोजगार व्यक्तियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र एवं गुजरात में कार्यालय वार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर